रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 <u>REGD. No. D. L.-33004/99</u>



सी.जी.-डी.एल.-अ.-16082024-256400 CG-DL-E-16082024-256400

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4 PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 616] No. 616] नई दिल्ली मंगलवार, अगस्त 13, 2024/श्रावण 22, 1946 NEW DELHI, TUESDAY, AUGUST 13 2024/SHRAVANA 22, 1946

भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 अगस्त, 2024

भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (इनफॉरमेशन यूटिलिटी) (संशोधन) विनियम, 2024

आई.बी.बी.आई./2024-25/जी.एन./आर.ई.जी.114.—भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड, दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 (2016 का 31) की धारा 240 के साथ पठित धारा 196, 213, 214 और 215 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (इनफॉरमेशन यूटिलिटी) विनियमन, 2017 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थातु: -

- 1. (1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (इनफॉरमेशन यूटिलिटी) (संशोधन) विनियम. 2024 है।
 - (2) ये विनियम 1 अक्तूबर, 2024 से प्रवृत्त होंगे, सिवाय इन विनियमों के विनियम 3 और 5 के, जो 1 दिसम्बर, 2024 से प्रवृत्त होंगे।
- 2. भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (इनफॉरमेशन यूटिलिटी) विनियमन, 2017 (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् 'मूल विनियम' कहा गया है) के विनियम 21 के उप-विनियम (2) में,
 - (i) खंड (क) में, "तकनीकी मानकों में विनिर्दिष्ट समय के भीतर" शब्दों के स्थान पर "सात दिनों के भीतर" शब्द रखे जाएंगे।

5140 GI/2024 (1)

- (ii) खंड (ख) में, "तीन दिन" शब्दों के स्थान पर, "सात दिन" शब्द रखे जाएंगे।
- 3. मूल विनियमों के विनियम 21 में,
 - (i) उप-विनियम (2) के खंड (ग) में, उप-खंड (iii) के स्थान पर, निम्नलिखित उप-खंड रखा जाएगा, अर्थात्:-
 - "(iii) अनुसूची के प्ररूप ग में -
 - (अ) किसी ऐसे वित्तीय लेनदार द्वारा, जो कि भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में सम्मिलित कोई बैंक है;
 - (आ) किसी अन्य लेनदार द्वारा, संहिता की धारा 3(8) में यथा-परिभाषित कारपोरेट ऋणी से भिन्न किसी ऋणी की बाबत.

प्रस्तुत किया गया है।"

(ii) उप-विनियम (3) में, सारणी 2 के पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक रखा जाएगा, अर्थात्:-

"परन्तु यह और कि ऐसे वित्तीय लेनदारों की दशा में, जो भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में सम्मिलित बैंक हैं, जब कोई ऋणी चूक की रकम के किसी भाग को विवादित करता है या ऐसा विवाद केवल गैर-वित्तीय सूचना की बाबत है तब इनफॉरमेशन यूटिलिटी, चूक की अविवादित रकम की बाबत प्रमाणन की प्रास्थित 'प्रमाणित' रूप में लेखबद्ध करेगी।"

4. मूल विनियमों में, "लोक आख्यापन का प्रसारण" के संबंध में विद्यमान विनियम 21क को विनियम 21ख के रूप में पुनर्संख्यांकित किया जाएगा और इस प्रकार पुनर्संख्यांकित विनियम 21ख से पूर्व, निम्नलिखित विनियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"21क. चूक का अभिलेख जारी करने से पूर्व सूचना का सत्यापन

- (1) कोई इनफॉरमेशन यूटिलिटी, विनियम 21 के अधीन अनुसूची के प्ररूप घ में चूक का अभिलेख जारी करने से पूर्व प्रमुख ब्यौरों, अर्थात्, ऋणी के ईमेल पते, ऋण का सबूत दर्शाने वाले दस्तावेज़, ऋणी द्वारा ऋण की अद्यतन अभिस्वीकृति और चूक के सबूत को सत्यापित करेगी।"
- 5. मूल विनियमों के 'चूक का अभिलेख जारी करने से पूर्व सूचना का सत्यापन' से संबंधित संशोधित विनियम 21क में, उप-विनियम (1) के पश्चात्, निम्नलिखित उप-विनियम अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात्:-
 - "(2) यदि ऋणी चूक की रकम के किसी भाग या चूक की संपूर्ण रकम को विवादित करता है तो ऐसा ऋणी ऐसे विवाद के कारण देगा और उसके लिए साक्ष्य अपलोड करेगा।
- (3) ऐसे वित्तीय लेनदारों की दशा में, जो भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में सम्मिलित बैंक हैं, कोई इनफॉरमेशन यूटिलिटी, चूक की उस रकम के लिए, जिसके संबंध में विवाद का साक्ष्य प्राप्त हो गया है और उसे सत्यापित किया गया है, 'विवादित' रूप में प्रमाणन की प्रास्थिति वाली चूक का अभिलेख जारी करेगी और चूक की शेष रकम की बाबत 'प्रमाणित' रूप में प्रमाणन की प्रास्थिति वाली चूक का अभिलेख जारी करेगी।"

रवि मित्तल, अध्यक्ष

[विज्ञापन-III/4/असा./385/2024-25]

टिप्पण: भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (इनफॉरमेशन यूटिलिटी) विनियमन, 2017, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 3, खंड 4, सं. 129 में तारीख 31 मार्च, 2017 को अधिसूचना सं. आई.बी.बी.आई./2016-17/जी.एन./आर.ई.जी.009, तारीख 31 मार्च, 2017 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और उनमें अंतिम संशोधन

भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग III, खंड 4, सं. 463 में तारीख 20 सितम्बर, 2022 को अधिसूचना सं. आई.बी.बी.आई./2022-23/जी.एन./आर.ई.जी.098, तारीख 20 सितम्बर, 2022 द्वारा प्रकाशित भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (इनफॉरमेशन यूटिलिटी) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2022 द्वारा किया गया था।

INSOLVENCY AND BANKRUPTCY BOARD OF INDIA NOTIFICATION

New Delhi, the 13th August, 2024

Insolvency and Bankruptcy Board of India (Information Utilities) (Amendment) Regulations, 2024

No. IBBI/2024-25/GN/REG114.—In exercise of the powers conferred by section 196, 213, 214, 215 read with section 240 of the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016 (31 of 2016), the Insolvency and Bankruptcy Board of India hereby makes the following regulations further to amend the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Information Utilities) Regulations, 2017, namely:-

- 1. (1) These Regulations may be called the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Information Utilities) (Amendment) Regulations, 2024.
 - (2) They shall come into force on 1st October 2024, except regulation 3 and 5 of these Regulations which shall come into force on 1st December 2024.
- 2. In the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Information Utilities) Regulations, 2017, (hereinafter referred to as 'the principal regulations'), in regulation 21, in sub-regulation (2),
 - (i) in clause (a), for the words "the time specified in the Technical Standards", the words, "seven days" shall be substituted.
 - (ii) in clause (b), for the words "three days", the words, "seven days" shall be substituted.
- 3. In the principal regulations, in regulation 21,
 - (i) in sub-regulation (2), in clause (c), for sub-clause (iii), the following sub-clause, shall be substituted, namely:-
 - "(iii) submitted in Form C of the Schedule:
 - (A) by a financial creditor, which is a bank included in the second schedule of the Reserve Bank of India Act, 1934;
 - (B) by any other creditor, in respect of a debtor other than the corporate debtor as defined in section 3(8) of the Code."
 - (ii) in sub-regulation (3), after Table 2, the following proviso shall be inserted, namely: -
 - "Provided further that in case of financial creditors which are banks included in the second schedule of the Reserve Bank of India Act, 1934, when a debtor disputes a part of the default amount or such dispute is in respect of only non-financial information, then the information utility shall record the status of authentication as 'authenticated' in respect of the undisputed default amount."
- 4. In the principal regulations, existing regulation 21A regarding "Dissemination of public announcement" shall be renumbered as regulation 21B, and before regulation 21B so renumbered, the following regulation shall be inserted, namely: -

"21A. Verification of information before issuance of a record of default.

- (1) An information utility shall verify the key details such as e-mail address of the debtor, document showing proof of debt, latest acknowledgment of debt by the debtor and proof of default before issuance of record of default in Form D of the Schedule under regulation 21."
- 5. In the principal regulations, in the amended regulation 21A regarding 'Verification of information before issuance of record of default', after sub-regulation (1), the following sub-regulations shall be inserted, namely: -
 - "(2) In case a debtor disputes a part of default amount or entire default amount, such debtor shall provide the reasons for such dispute and upload the evidence for the same.

(3) In case of financial creditors which are banks included in the second schedule of the Reserve Bank of India Act, 1934, an information utility shall issue a record of default with the status of authentication as 'disputed' for the default amount for which evidence of dispute has been received and verified, and issue a record of default with the status of authentication as 'authenticated' in respect of the balance default amount."

RAVI MITAL, Chairperson [ADVT.-III/4/Exty./385/2024-25]

Note: The Insolvency and Bankruptcy Board of India (Information Utilities) Regulations, 2017 were published *vide* Notification No. IBBI/2016-17/GN/REG009 dated 31st March, 2017 in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4, No. 129 on 31st March, 2017 and were last amended by the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Information Utilities) (Second Amendment) Regulations, 2022 published *vide* Notification No. IBBI/2022-23/GN/REG/098, dated the 20th September, 2022 in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4, No. 463 on 20th September, 2022.